

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-06/2018/88 /दो-2-2017-28/2(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2018

शुद्धि-पत्र

नियुक्ति अनुभाग-2, 30प्र0 शासन के आदेश संख्या-04/2018/4566/दो-2-2017-28/2 (12)/2017, दिनांक 04-01-2018 द्वारा श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0-1992 के भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-71550 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त आदेश के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश श्री प्रभात कुमार शर्मा के स्थान पर श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव अंकित हो गया है।

2- उक्त आदेश दिनांक 04-01-2018 के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश अंकित प्रभात कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर श्री प्रभात कुमार शर्मा पढ़ा जाय। आदेश संख्या-04/2018/4566/दो-2-2017-28/2 (12)/2017, दिनांक 04-01-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0-1992, तत्कालीन अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा।
- 4- श्री प्रभात कुमार शर्मा, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ए-14, जज कम्पाउण्ड, निकट बजीरपुरा, आगरा ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।